न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 172/2016

1. राजवन्तसिंह पुत्र बोगासिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. हरजीतकौर पुत्री बोगासिंह पत्नी छिन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 75 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
3. गुरलाभसिंह पुत्र मोमनसिंह पुत्र बोगासिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. सुरजीतकौर उर्फ गुरदीपकौर पत्नी जगराजसिंह दोहती सन्तकौर पत्नी सुन्दरसिंह जाति जटसिख निवासी 17 ए तहसील अनूपगढ हाल जोडकिया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
3. उप–पंजीयक अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।

——रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

दिनांक 08.08.2016

उपस्थितिः–

श्री तेजासिह, अभिभाषक अपीलांट

श्री पवन कुमार चुघ अभिभाषक रेस्पो.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक :– 18.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया/प्रार्थीया/ रेस्पो. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के

18/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे विवादित भूमि चक 17ए के मु.नं. 31 प.नं. 197/19 के कि. नं. 1 से 24 की कुल 5.527है0 प्रार्थीया के कब्जा के काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें तथा विवादित भूमि के किसी भी भू भाग को किसी भी तरीके से रहन,बैय आदि द्वारा अन्तरण नहीं करें।

अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं। विवादित भूमि अकेले प्रार्थीया को विरासतन प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थीया का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ द्वारा सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 08.08.2016 को प्रार्थीया का प्रा.पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि वे विवादित भूमि को रहन, बैय द्वारा हस्तांतरण नहीं करें तथा मौका की यथास्थिति रखने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया ने अधी. न्यायालय में दावा व प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि सन्तकौर को आवंटन हुई थी जिसमें अपीलांट व रेस्पों. का नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सन्तकौर रेस्पों. सं. 1 की नानी लगती है। सन्तकौर व उसकी लडकी गुरनाम कौर का देहान्त हो चुका है जिसकी जायज वारिस रेस्पों. सं. 1 को बताया। रेस्पों. की माता की मृत्यु होने पर पिता द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है। अधी. न्यायालय में अपीलांट द्वारा जबाब प्रा.पत्र पेश किया गया एवं कथन किया कि अपीलांट बोगासिंह के वारिस हैं। प्रत्येक वारिस का हक व हिस्सा बराबर का बनता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 के अनुसार यदि पत्नी निर्वसीयत मर जाती है तो उसके लडके, लडकियां व पति हिस्से का वारिस होता है। इसलिए जो इन्तकाल तस्दीक किया गया है बिल्कुल

18/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सही है। अपीलांट व रेस्पों. अभिलिखित खातेदार हैं। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती थी फिर भी अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2013(3) डी.एन.जे.(राज.) 1315, आर.आर.डी. 1997 पेज 30, आर.आर.डी. 2006 पेज 413 , आर.आर.डी. 2015 पेज 210 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि सन्तकौर को आवंटित थी। सन्तकौर की मृत्यु हो चुकी है। सन्तकौर के पति व पुत्री की मृत्यु हो चुकी है। रेस्पों. गुरनाम कौर की पुत्री है। ऐसी स्थिति में रेस्पों. सं. 1 ही विवादित भूमि सन्तकौर की वारिस होने के नाते प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त भूमि में अपीलांट का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। हर प्रकार से मामला रेस्पों. के पक्ष में था। अधी.न्यायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पों. ने 2013(1) आर.आर.टी. पेज 687, 2010(2) आर.आर.टी. पेज 221, 2007(2) आर.आर.टी. पेज 1449, 1997(1)डब्लयू.एल.सी.(राज.) पेज 99 की नजीरें पेश की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपजिला कलक्टर अनूपगढ के निर्णय दिनांक 08.08.2016 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा प्रार्थी सरजीत कौर उर्फ गुरदीप कौर का प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर अप्रार्थीगण हरजीत कौर पुत्री बोगासिंह, राजवन्त सिंह पुत्र बोगासिंह, गुरलाभसिंह पुत्र मोमनसिंह को विवादित आराजी हस्तांतरित न करने व मौका की यथास्थिति बनाए रखने के लिये पाबन्द किया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय का निर्णय पीठासीन अधिकारी के 'Second thought' की उपज होना प्रतीत होता है। मूल निर्णय आंशिक रूप से स्वीकार होना लिखा गया है। जिसमें ' आशिंक रूप'

18/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

से कांट–छांट की गई। हालांकि कांट–छांट आदेशिका सहित निर्णय में तीन जगह की गई जिसे attest किया गया। परन्तु निर्णय को आंशिक रूप से स्वीकार एवं स्वीकार के रूप में पढा जाने पर दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं।

अधी. न्यायालय का निर्णय उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दावे की merits पर केन्द्रित रही जबकि राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 212 का scope की Bare reading है कि " Provision for injunction and appointment of a rerciver --(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise---

(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thererto, or

(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of justice "

जबकि अधी. न्यायालय द्वारा निर्णित प्रा.पत्र में विवादित आराजी धारा 212(1)(a) (b) के किसी parameter का विवेचन होकर निर्णय नहीं हुआ है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम 17ए(ए) पटवार हल्का 15ए की जमाबन्दी के खाता सं. 17 नया 16 पुराना अनुसार विवादित आराजी सन्तकौर पत्नी सुन्दरसिंह कौम जटसिख साकिन कीकर चक विशेष आवंटन होकर जरिये नामान्तरणकरण सं. 115 निर्णय दिनांक 05.06.2015 विरासत सरजीत कौर पुत्री बोगासिंह 5/8 हि0, हरजीत कौर पुत्री बोगासिंह 1/8 हि0, राजवन्त सिंह पुत्र बोगासिंह 1/8 हि0, गुरलाभसिंह पुत्र मोमन सिंह 1/8 कौम जटसिख सा0 6 वाई विशेष आवंटन सालम दर्ज राज रिकार्ड है जिसके अनुसार अपीलांट एवं रेस्पों. विवादित आराजी के सहखातेदार हैं जिसके सम्बन्ध में अपरिहार्य कारणों को छोडकर " ordinarily an injuction cannot be granted against a recorded khatedar" परन्तु अधी. न्यायालय ने ऐसी कोई परिस्थितियां विवेचित नहीं की जिसमें सहखातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना अपरिहार्य था।

18/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जो दावे की merits को explain करती है। रेस्पों. की लिखित बहस उसमें अंकित वंशावली दावे के निर्णय में सन्दर्भित हो सकती है या पढने योग्य है या नहीं। रेस्पों. अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत 2013(1) आर.आर.टी. पेज 687, 2010(2) आर.आर.टी. पेज 221, 2007(2) आर.आर.टी. पेज 1449, 1997(1)डब्लयू.एल.सी.(राज.) पेज 99 का अध्ययन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि अधी. न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के 'Second thought' की उपज है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा.पत्र के आदेश में जो आंशिक स्वीकार में कांट–छांट नहीं की जाती तो वादी/रेस्पों. को उसके हिस्से तक ही अनुतोष मिल सकता था न कि रेस्पों./अपीलांट के हिस्से को भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना तथा अपीलांट विवादित आराजी के सहखातेदार हैं जो बिना किसी विशेष परिस्थितियों के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2016 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर